**HkÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ**

**®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ**

**+ÉiÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 1089**

**ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® 16 fnlEcj, 2013 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè**

**dks;yk CykWd izkIr djus ds fy, laifÙk;ksa dks vuqfpr <ax ls izLrqr djuk**

**1089- Jh j.kohj flag iztkifr %**

# D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ ,slh dkSu&dkSu lh futh dEifu;ka gSa ftUgksaus dks;yk CykWd izkIr djus ds fy, viuh&viuh dEifu;ksa dh laifÙk dks vuqfpr <ax ls izLrqr fd;k(

¼[k½ D;k ljdkj }kjk muds izfrfufèk;ksa ds fo#) dksbZ dkjZokbZ dh xbZ gS( vkSj

¼x½ ;fn ugha] rks D;k ljdkj buds f[kykQ dksbZ dkjZokbZ djus tk jgh gS\

**=kÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É¤ÉÉ{ÉÚ {ÉÉ]ÉÒãÉ)**

**(क) से (ग) :** भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक तथा निजीक्षेत्र की पात्र कंपनियों को कैप्‍टिव कोयला ब्‍लॉक अनुमोदित अन्‍त्‍य उपयोग परियोजनाओं अर्थात इस प्रयोजनार्थ गठित जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर कोयला खान (राष्‍ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अनुसरण में कैप्‍टिव खनन के लिए कोयला गैसीकरण (भूमिगत तथा मुहाना) के माध्‍यम से विद्युत उत्‍पादन, लौह एवं इस्‍पात उत्‍पादन, सीमेंट उत्‍पादन तथा सिन गैस उत्‍पादन के लिए कैप्‍टिव कोयला ब्‍लॉक आबंटित किए गए थे । जांच समिति एक व्‍यापक आधारवाली निकाय थी जिसमें राज्‍य सरकारों, केन्‍द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों तथा सरकारी कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि थे । कार्यवृत्‍त के अनुसार जांच समिति ने अन्‍त्‍य उपयोग परियोजना की तकनीकी आर्थिक व्‍यवहार्यता, अन्‍त्‍य उपयोग परियोजना स्‍थापित करने की तैयारी की स्‍थिति, परियोजनाओं के निष्‍पादन में पूर्व का ट्रैक रिकार्ड, आवेदक कंपनियों की वित्‍तीय तथा तकनीकी क्षमताओं, संबंधित राज्‍य सरकारोंतथा प्रशासनिक मंत्रालय की सिफारिशों से संबंधित मामलों के बारे में आवेदनों का ऑकलन किया जाता है ।

केन्‍द्रीय जांच ब्‍यूरों(सीबीआई) ने कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन वर्ष 2006-09 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को, 1993-2004 की अवधि के दौरान निजी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन तथा सरकारी कंपनियों को कोयला ब्‍लॉकों के आबंटन के संबंध में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में 3 प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की हैं। इसके अलावा यह सूचित किया गया है कि सीबीआई ने विभिन्‍न कंपनियों के मामले में 14 एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई की जांच की मानीटरिंग भारत के माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा की जाती है ।

------